



प्रगतिवाद बाल विकास योजना

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

प्रधान कार्यालय : पुराना कोटी कैम्पस, कामयिरी मेट दिल्ली - 110006

कार्यालय : बिप्रा बाजार, सुपीले - 852218

E-mail : info@pwbvyindia.org, Website : www.pwbvyindia.org

गंक : PWBVY/1105/BR22

दिनांक : 21.05.2022

रोवा में,

जिला समाहर्ता मधुबनी

 जिला मधुबनी बिहार
 जिला मधुबनी बिहार

विषय:- प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकर्मों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

मोहद्दय

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-१८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय रत्तर पर पंजीकृत है।

जिसकी पंजीयन संख्या ११० है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय—वार्ड नंबर-०४, सुपील, बिहार—८५२१३१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा दढ़ाया देना और सामाजिक कल्याण कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिले के विभिन्न पंचायतों में निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से अपने जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुख्यिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का व्योरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर संगोष्ठी और नुककइ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं।
२. प्रगतिवाद बाल विद्यालय:- प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड में खोलकर उसके द्वारा उस वार्ड के ३ से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
३. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं महिलाओं को रखालंगी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई, कटाई, बुनाई पेटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनिकी एवं गैर तकनिकी प्रशिक्षण देना।
४. ग्रामीण क्षेत्र में सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु जागरूकता शिविर नुककइ सभा और जनसम्पर्क के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य कर रही।

१९. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्या बनान:- चूँकी वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी / गैर सरकारी आर्थिक साहयता मुहैया नहीं कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।
२०. बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओ कन्या भ्रुण हत्या बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरुकता लाने का कार्य कर रही है।
२१. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु ०-१४ वर्ष होती है तो उका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निशुल्क है। १८ वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।
२२. पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरुकता करना एवं वक्ष - रोपण को बढ़ावा देना। हरीत कांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की अवगत करना।
२३. रक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरुकता करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाने ताकि पाकृति आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना।
२४. प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड स्तरिय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु सेविका सहायिका एवं सुपरवाइजर की चयनित संस्था के द्वारा किया जा रहा है।
२५. भारत सरकार के कार्यक्रम स्वकृता अभियान और खुले मैं शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से जागरुकता शिविर नुकङ्ग नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना।

प्रार्थना है कि जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुख्यांशु को अपेक्षित राहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा।

Parash
अध्यक्ष / सचिव
प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट
सुपौल, बिहार
President
Pragativad Bd.